भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

(आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 708

05 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

हबल दवा का संवधन

708. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री चंद्र शेखर साहूः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः

(क) क्या लोगों म हबल दवा को बढ़ावा देने/लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा पयाप्त कदम उठाए गए ह और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश म हबल दवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ह;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान औषधीय पौधरोपण को बढ़ावा देने और इस प्रयोजनाथ धनराशि आवंटन के लिए सरकार द्वारा चिह्नित विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय औषध पादप बोड (एनएमपीबी) के अन्तगत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने क्षेत्रफल म औषधीय पौधों की खेती की जाती है; और

(ङ) मंडियों, ई-प्लेटफाम इत्यादि के निमाण के माध्यम से क्षेत्रीय किसानों द्वारा उगाई गई जड़ी-बूटियों की बिक्री को सरल सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए ह?

<u>उत्तर</u>

युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
और आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): जी हां, आयुष मंत्रालय ने लोगों के बीच निम्नलिखित तरीकों से जड़ी बूटीय चिकित्सा को बढ़ावा देने और प्रचार करने के लिए कदम उठाए ह:

i. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर और वार्षिक कार्यक्रम के रूप में आयुष योजना नाम से आरोग्य मेलों, स्वास्थ्य मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन।
ii. आयुष पद्धतियों, आयुर्वेद पर्व और योग पर्व/उत्सव इत्यादि के महत्वपूर्ण दिवसों को मनाना।
iii. सरकारी विभागों, राज्य सरकारों और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता।
iv. आयुष पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए मल्टी-मीडिया/प्रिंट मीडिया अभियान, ऑडियो विजुअल सामग्री सहित आयुष पद्धतियों पर प्रामाणिक प्रचार सामग्री की तैयारी और वितरण;
v. आयुष पद्धतियों पर सेमिनार, सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला, बैठक आदि के आयोजन के लिए प्रतिष्ठित संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक/अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
vi. केंद्रीय/राज्य सरकारों/सरकारी संगठनों/प्रतिष्ठित संगठनों जैसे फार्मेक्सिल, फार्मक्सिल, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, आईटीपीओ आदि द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित आरोग्य और अन्य मेलों/प्रदर्शनियों/सम्मेलनों/सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए आयुष उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करना;
vii. आयुष संबंधी विषयों पर वर्चुअल वेबिनार/प्रदर्शनियां;
viii. सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया अभियान;
ix. परिषद अपने 18 नैदानिक संस्थानों/इकाइयों द्वारा संचालित सामान्य ओपीडी, आरसीएच ओपीडी, जेरियाट्रिक ओपीडी, एनसीडी क्लिनिक आदि के माध्यम से उपचार प्रदान कर रही है।
x. स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय के सहयोग से कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और हृदयाघात (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में यूनानी चिकित्सा के एकीकरण के संबंध में कार्यक्रम शुरू किया गया है।
xi. इसी प्रकार, परिषद द्वारा एक अन्य एससीएसपी/टीएसपी मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, परिषद के विभिन्न केंद्रों के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी वाले गांवों को विभिन्न रोगों के निवारक पहलुओं के प्रति जागरूक करने और रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए चयन किया गया है।

(ग): आयुष मंत्रालय, भारत सरकार वर्तमान में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम की राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) का कार्यान्वयन कर रहा है। एनएएम योजना के 'औषधीय पादप' घटक के तहत, राज्यों के चयनित जिलों में पहचान किए गए क्लस्टर/ज़ोन में प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पादपों की बाजार उन्मुख खेती के लिए सहायता प्रदान की जा रही है और इसे मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाता है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, इसमें निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाती है:

i. किसान की भूमि पर प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पादपों की खेती।
ii. बैक्वर्ड लिंकेज के साथ गुणवत्तापरक रोपण सामग्री उगाने और आपूर्ति करने के लिए नर्सरी की स्थापना।
iii. फारवर्ड लिंकेज के साथ फसलोपरांत प्रबंधन।
iv. प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन अवसंरचना आदि।

इस योजना के तहत, पूरे देश में औषधीय पादपों की खेती करने के लिए उसकी लागत की 30%, 50% और 75% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है।

आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादक घटक के तहत देश भर म औषधीय पादपों का खेती, संवधन और संबंधित कायकलापों के तहत 16739.59 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान 13467.71 लाख रुपये का धनराशि आवंटित का है और 7572.40 लाख रुपये का राशि जारी का है। उक्त योजना के तहत विगत दो वर्षों के दौरान समर्थित वित्तीय सहायता और क्षेत्रफल का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **संलग्नक-I** म दिया गया है।

(घ): आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोड (एनएमपीबी) और आयुष मंत्रालय ने पूरे देश म राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन (एनएमएमपी) के तहत वित्तीय वष 2008-09 से 2014-15 तक और राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के तहत वित्तीय वष 2015-16 से 2019-20 तक 2,27,009 हेक्टेयर क्षेत्र म औषधीय पादपों का खेती के लिए सहायता प्रदान का है। इसका ब्यौरा **संलग्नक**-II म दिया गया है।

(ड़): राष्ट्रीय औषधीय पादप बोड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय और सटर फॉर डेवलपमट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) ने संयुक्त रूप से औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों के संवधन और विपणन के लिए "ई-चरक" मोबाइल एप्लिकेशन के साथ-साथ वेब पोटल विकसित किया है। जड़ी-बूटियों, सुगंधित, कच्चे सामग्री और ज्ञान के लिए “ई-चरक” नामक ई-चैनल देश भर म औषधीय पादपों के क्षेत्र म सम्मिलित विभिन्न हितधारकों, मुख्य रूप से किसानों के बीच सूचना आदन-प्रदान करने के लिए एक मंच है। "ई-चरक" एप्लीकेशन विभिन्न स्थानीय भाषाओं से युक्त है और यह पूरे भारत के 25 हबल बाजारों के 100 औषधीय पादपों का पाक्षिक बाजार मूल्य भी प्रदान करता है।

आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत औषधीय पौधों का सरलता से बिक्री और खरीद के लिए 39 जिला संग्रहण कद्रों, ग्रामीण संग्रहण कद्रों, खुदरा दुकानों के निमाण के लिए भी सहायता प्रदान का है।

******

संलग्नक-I

औषधीय पादपों की खेती के अंतगत आवंटित, जारी की गई निधियां और समर्थित क्षेत्रफल का ब्यौरा
(रुपये लाख में और क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2018-19			2019-20			कुल एनएएम		
		आवंटित निधियां	जारी की गई निधियां	समर्थित क्षेत्रफल	आवंटित निधियां	जारी की गई निधियां	समर्थित क्षेत्रफल	आवंटित निधियां	जारी की गई निधियां	समर्थित क्षेत्रफल
1	आंध्र प्रदेश	128.6	128.586	508.05	317	314.91	1338	**445.6**	**443.49**	**1846.05**
2	अरुणाचल प्रदेश	36.9	36.86	9	48.7	46.005	44	**85.6**	**82.87**	**53**
3	असम	236.7	189.122	138	313.9	0	0	**550.6**	**189.12**	**138**
4	अंडमान व निकोबार	41.6	0	0	43.4	0	0	**85**	**0**	**0**
5	बिहार	398.2	0	0	857.3	287.2	175	**1255.5**	**287.2**	**175**
6	चंडीगढ़	53.3	0	0	36.7	0	0	**90**	**0**	**0**
7	छत्तीसगढ़	107.8	107.86	108	343.7	0	0	**451.5**	**107.86**	**108**

8	दादरा व नगर हवेली	26.3	0	0	22.9	0	0	**49.2**	**0**	**0**
9	दमन और दीव	23.4	0	0	22.9	0	0	**46.3**	**0**	**0**
10	दिल्ली	55.2	0	0	68.6	0	0	**123.8**	**0**	**0**
11	गुजरात	111.7	308.71	518.47	380.4	0	0	**492.1**	**308.71**	**518.47**
12	गोवा	23	22.937	30.36	38.1	38.74	30	**61.1**	**61.68**	**60.36**
13	हरियाणा	100.2	0	0	342.9	0	0	**443.1**	**0**	**0**
14	हिमाचल प्रदेश	45.7	63.75	0	128.9	128.94	70	**174.6**	**192.69**	**70**
15	जम्मू-कश्मीर	48.5	49.54	24	106.5	106.04	28	**155**	**155.58**	**52**
16	झारखंड	142.1	0	0	441.1	0	0	**583.2**	**0**	**0**
17	कनाटक	149.3	148.1	469	243.4	157.4	352.6	**392.7**	**305.5**	**821.6**
18	केरल	162.8	162.515	396.5	237	0	0	**399.8**	**162.52**	**396.5**
19	लक्षद्वीप	16.91	0	0	22.9	0	0	**39.81**	**0**	**0**
20	मध्य प्रदेश	271.9	334.459	1262	564.9	516.87	790	**836.8**	**851.33**	**2052**
21	महाराष्ट्र	214.7	0	0	413.9	409.11	520	**628.6**	**409.11**	**520**
22	मणिपुर	54.5	79.08	60	46.4	40.83	30	**100.9**	**119.91**	**90**
23	मेघालय	55.3	0	0	46.1	45.03	108	**101.4**	**45.03**	**108**
24	मिजोरम	58.9	62.14	187	25.4	25.2	6	**84.3**	**87.34**	**193**
25	नागालड	63.2	63.199	102.5	82.8	0	0	**146**	**63.2**	**102.5**
26	ओडिशा	179.5	161.314	378	356.7	0	0	**536.2**	**161.31**	**378**
27	पंजाब	62.9	61.219	16	148.4	148.15	340	**211.3**	**209.37**	**356**
28	पुडुचेरी	13.8	13.84	2.43	22.9	6.78	4.84	**36.7**	**20.62**	**7.27**
29	राजस्थान	303.7	272.379	519	533.4	521.6	760	**837.1**	**793.98**	**1279**
30	सिक्किम	15.3	0	0	25.4	0	0	**40.7**	**0**	**0**
31	तमिलनाडु	173	173.088	765	306	305.99	900	**479**	**479.08**	**1665**
32	तेलंगाना	71.9	71.87	236.7	177.9	177.9	341.3	**249.8**	**249.77**	**578**
33	त्रिपुरा	46.6	47.88	210.6	59.3	0	0	**105.9**	**47.88**	**210.6**

34	उत्तर प्रदेश	753.3	912.043	3633.44	1526	0	0	**2279.3**	**912.04**	**3633.44**
35	उत्तराखंड	78.5	75.67	110	182.2	182.095	208	**260.7**	**257.77**	**318**
36	पश्चिम बंगाल	210.5	194.701	261.42	397.9	372.73	748.38	**608.4**	**567.43**	**1009.8**
	कुल	**4535.71**	**3740.862**	**9945.47**	**8931.9**	**3831.535**	**6794.12**	**13467.61**	**7572.4**	**16739.59**

आयुष मंत्रालय के आयुष मिशन द्वारा राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन (एनएमएमपी) और राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत समर्थित क्षेत्रफल का ब्यौरा				
क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एनएमएम पी	एनएएम	कुल
		क्षेत्रफल हैक्टेयर म		
1	आंध्र प्रदेश	32681.1	4703.31	37384.4
2	अरुणाचल प्रदेश	2174.25	266.4	2440.65
3	असम	2364.75	623.6	2988.35
4	बिहार	885	175	1060
5	छत्तीसगढ़	992	400	1392
6	गोवा	0	113.22	113.22
7	गुजरात	970	936.3	1906.3
8	हरियाणा	2321.4	419.8	2741.2
9	हिमाचल प्रदेश	355.04	236	591.04
10	जम्मू और कश्मीर	250	116	366
11	झारखंड	7926.73	0	7926.73
12	कनाटक	7530.61	2613.9	10144.5
13	केरल	5174.82	1888.5	7063.32
14	मध्य प्रदेश	46076.8	8281	54357.8
15	महाराष्ट्र	2887.07	1290.43	4177.5
16	मणिपुर	1293.5	616.2	1909.7
17	मेघालय	1141.5	178	1319.5
18	मिजोरम	3140.75	344.28	3485.03
19	नागालड	5372	541.5	5913.5
20	ओडिशा	6073.3	866.504	6939.8
21	पंजाब	0	598	598
22	पुडुचेरी	0	50.27	50.27

23	राजस्थान	269.75	4112.5	4382.25
24	सिक्किम	1779.74	179	1958.74
25	तमिलनाडु	30282.4	3931	34213.4
26	तेलंगाना	0	1674.18	1674.18
27	त्रिपुरा	90	255.6	345.6
28	उत्तर प्रदेश	12859.3	10064.4	22923.7
29	उत्तराखंड	1545.7	801.53	2347.23
30	पश्चिम बंगाल	2531	1763.8	4294.8
सकल योग		**178968**	**48040**	**227009**

******